तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दीवानी दावा प्रकरण संख्या – 26/2006 सी.आई.एस. नम्बर– 152/2014 गोविन्दराम मोदी व अन्य बनाम रामजीदास मोदी व अन्य	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.05.2026	पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2026 सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण/वादीगण ने मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि, " उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2017 को तनकीयात कायम की गई थी जिसमें तनकी नम्बर 1, 3, 5 व 6 को संशोधित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योकि उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उपरोक्त तनकीयों में वादीगण के मालिकाना वैध कब्जे के सम्बन्ध में उपरोक्त तनकीयों में वादीगण के वाद में चाही गयी सहायता मालिकाना कब्जे एवम स्वर्गीय रामजीदास मोदी द्वारा वादीगण के हक में तहरीर की गयी लिखावट दिनांक 04.06.1993 व तहरीर दिनांक 28.04.2003 के आधार पर मैसर्स अग्रवाल फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी की समस्त चल व अचल सम्पतियों खनन क्षेत्र व व्यवसाय से सम्बन्धित है तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में उपरोक्त लिखावटो व तहरीर के आधार पर मालिकाना हक व कब्जे के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में वादीगण द्वारा चाही गयी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा उपरोक्त तहरीरो के आधार पर अपने हक में उक्त वाद का न्याय निर्णयन चाहा गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त चारो तनकीयातो को संशोधित किया जाना न्यायहित अत्यन्त आवश्यक है अतः वादीगण को मैसर्स अग्रवाल फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी की समस्त चल व अचल सम्पतियों व प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से व कुटरचित रूप से आलेखित की गयी वसीयत दिनांक 05.01.2006 व डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट डीड दिनांक 10.02.2006 को व मुख्तयारनामा आम दिनांक 17.10.2005 के द्वारा किये कृत्यों को प्रभाव शुन्य घोषित करवा सके। प्रस्तावित तनकीया निम्न प्रकार है तनकी नं. 1. आया वादीगण वसीयत दिनांक 29.05.1992 व स्व. रामजीदास मोदी द्वारा वादीगण के हक में तहरीर की गई लिखावट दिनांक04.06.1993 एवं तहरीर दिनांक 28.04.2003 के आधार पर अग्रवाल फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी की समस्त चल–अचल सम्पतियों, खनन क्षेत्र व व्यवसाय पर वैध रूप से बतौर मालिक काबिज है। .....वादीगण तनकी नं. 3 आया वादीगण उनके वैध मालिकाना कब्जे की सम्पतियों व कारोबार एवं वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 43, 45, 47 ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। .....वादीगण तनकी नं. 5 आया प्रतिवादी कम 3 के हक में आलेखित वसीयतनामा दिनांक 05.01.06 को वादीगण उपरोक्त दोनो लिखावट की तहरीरो दिनांक 04.06.1993 व 28.04.2003 के आधान पर नल एन्ड वाइड व प्रभाव शुन्य करवाने के अधिकारी है।..... वादीगण तनकी नं. 6 आया प्रतिवादी कम 3 के हक में डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट डीड दिनांक 10.02.2006 को वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर एवम उपरोक्त दोनो लिखावट की तहरीरो दिनांक 04.06.1993 व 28.04.2003 के आधार पर प्रभाव शुन्य घोषित करवाने के अधिकारी है एवम मुख्त्यारनामा आम दिनांक 17. 10.2005 के द्वारा किये कृत्यों को उपरोक्त दोनो लिखावट की तहरीरो के आधार पर प्रभाव शुन्य करवाने के अधिकारी है। .....वादीगण उपरोक्त तनकीयातो में संशोधन किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है ताकि वादीगण को उचित न्याय प्राप्त हो सके। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अनुसार तनकीयों में संशोधन फरमाने की कृपा करे।" प्रतिवादी दीपक मोदी की ओर से प्रस्तुत जवाब में एवं बहस में कथन किया गया कि, "प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 इस कथन के साथ स्वीकार है	

Scanned with OKEN Scanner

कि उपरोत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष काफी पेशियों में अन्तिम बहस हेतु नियत है जिसके लिये वादी द्वारा बहस पूरी न करके स्थगन लिये जाते रहे हैं। प्रार्थना पत्र का मंद संख्या 2 स्वीकार नहीं है। वादी के वाद पेत्र में अभिवचनों व उनके आधार पर वांछित अनुतोष के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19–05–2017 को विरचित विवाद पूर्ण व स्पष्ट हैं तथा वादी द्वारा बाद में वांछित अनुतोषों के निर्णय हेतु उपयुक्त व पर्याप्त है तथा उन्हें संशोधित या पुनः विरचित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा विवादक विरचित किये जाने के बाद दोनो पक्षों को पढ़ कर सुनाये जाकर समझाये जाते हैं जिन्हें दोनो पक्षों द्वारा सही व पर्याप्त होना मान कर स्वीकार किया गया था तथा उन्ही विवादकों पर दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी साक्ष्य पेश की जाकर अन्तिम बहस हेतु भी वादी प्रार्थी द्वारा बहस प्रारम्भ करने के बाद आवश्यकता से अधिक समय लिया जा चुका है तथा अब इस स्तर पर विवादकों को संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना प्रकरण में निर्णय को विलम्बित मात्र किये के उद्देश्य से किया गया है। इस मद में किये गये कथन वादी के वाद में वर्णित अनुतोष में भिन्न हैं। वादी ने अपने वाद में व्यक्त किये गये अनुतोष संख्या 1 में (मद संख्या अन्तिम, पृष्ठ संख्या 11) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने वर्णित सम्पत्ति पर मालिकाना हक की घोषणा नहीं चाही है वरन वैध काबिज होने की घोषणा मात्र चाही है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में मालिकाना हक की घोषणा हेतु अनुतोष नहीं मांगा गया इसलिये तनकी संख्या 1 को संशोधित करवाये जाने का कोई कारण व आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या में वर्णित कथन स्वीकार नहीं हैं। वादी के वाद पत्र में चाहे गये अनुतोषों व विरचित विवादक से स्पष्ट है कि वादी ने केवल कब्जे के सम्बंध में घोषणा व निषेधाज्ञा चाही है तथा वादी ने मालिकाना हक के आधार पर घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है। अन्यथा भी वादी द्वारा अपने कब्जे को वैध घोषित करवाने के अनुतोष के संबंध में विवादक विरचित है जिसके निर्णय के लिये वर्णित दस्तावेजात की वैधता पर विचारण स्वाभाविक है इसलिये उसके लिये विवादक को संशोधित किये जाने की अवश्यकता नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तावित विवादक अनावश्यक रूप से बाद को विलम्बित मात्र किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किये गये हैं। तनकी संख्या 1 के संबंध में कथन है कि वादी ने वर्णित संपत्ति पर मालिकाना हक की घोषणा हेतु अनुतोष नहीं चाहा है इसलिये इस आशय का विवादक विरचित किये जाने का औचित्य नहीं है तथा वादी द्व ारा प्रस्तावित विवादक अभिवचनों के विपरीत होने तथा उनके अनुसरण में न होने से संशोधित किये जाने योग्य नहीं है। इस संबंध मे वाद पत्र में अंकित अनुतोष संख्या 1 में मालिकाना हक का कथन नहीं है। तनकी संख्या 3 वाद के अनुतोष संख्या 3 से संबंधित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है इस अनुतोष में भी वादी ने वर्णित सम्पत्ति पर केवल वैध कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा चाही है तथा मालिकाना हक के आधार पर निषेधाज्ञा नहीं चाही। इसलिये तनकी में मालिकाना शब्द शामिल कर वादी बिना अनुतोष चाहे मालिकाना हक की घोषणा चाहता है। जब कि इस अनुतोष व अभिवचनों में स्पष्ट है कि वादी ने मालिकाना हक की घोषणा वाबत वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तनकी संख्या 5 पूर्व में विरचित तनकी स्पष्ट व पूर्ण है तथा इसे संशोधित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तनकी संख्या 6 के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। विवादक विरचित किये जाने में दस्तावेज को शून्य घोषित करवाने के लिये उसके शून्य घोषित किये जाने के आधारों का उल्लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा इन तथ्यों व आधारों को पक्षकार द्वारा अपनी साक्ष्य में सिद्ध करके उसके विधिक आधरों पर विचारण किया जाकर तनकी का निर्णय होता है तथा इसके लिये उसे कथित रूप में घोषित किये जाने के आधारों का अंकन विवादक में नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी कम 1/1/1 लगायत 1/1/4 द्वारा प्रार्थना पत्र के जबाव में कथन किया गया है कि, " वादीगण द्वारा तनकियात को संशोधित करने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें किन तनकी में क्या संशोधन चाहा है और उसका क्या आधार है का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं दिया गया है, बल्कि तनकी क्रम 1, 3, 5 व 6 को पुनः नए सिरे से बनाने की प्रार्थना की गई है, जबकि

Scanned with OKEN Scanner

आदेश 14, नियम 5 सीपीसी में पुनः तनकियात बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से Vague एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। यह कि मुख्य रूप से इस सम्पूर्ण वाद में प्रतिवादी क्रम 3 के हक में निष्पादित गिफ्टडीड एवं वसीयत को विभिन्न आधारों पर null and void घोषित करवाने की pleading है और इसी रूप में अनुतोष चाहा है, इसलिए गिफ्टडीड विधि विरुद्ध होने के लिए जो आधार pleading में है, उनकी पुनरावृत्ति तनकियात में करने कि आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आधार का वर्णन pleading में है और समस्त pleading की तनकियात में पुनरावृत्ति नहीं की जाती, बल्कि जो अनुतोष चाहा गया है उसी के आधार पर तनकी कायम की जाती है, इसलिए इन तनकियात में तहरीर दिनाक 04.06.1993 एवं 26.04.2003, जो बाद पत्र में गिफ्टडीड को null and void घोषित करने के लिए वर्णित है, उनकी पुनरावृत्ति तनकियात में करने का यह प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। मुख्य रूप से सभी तनकियात पर साक्ष्य हो चुकी है और मुकदमा अंतिम बहस में चल रहा है, इसलिए इस स्टेज पर नए सिरे से तनकियात नहीं बनाई जा सकती अन्यथा पूरे मुकदमे का re-trial होगा तथा उस स्थिति में सभी पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना आवश्यक हो जाएगा तथा मुकदमा और लंबा होगा, इसीलिए यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाना आवश्यक है।'' एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी दीपक मोदी, सुशील मोदी व सुमित मोदी द्वारा बहस में अपने अभिवचनों को दोहराया गया तथा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव नहीं देना चाहा, मौखिक बहस में विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

पक्षकारान के तर्को के संबंध में पत्रावली के अवलोकन किया जाये तो तनकी सं. 01 के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वाद अग्रवाल फ्लोरिंग कम्पनी की समस्त चल अचल संपत्तियों बाबत है क्योंकि यह एक कम्पनी है तथा लिखापढी मैसर्स अग्रवाल फ्लोरिंग कम्पनी के संबंध में हुई है, उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अतः तनकी सं. 01 में संशोधन स्वीकार किया जाता है, स्पष्टता हेतु 'समस्त' शब्द का अंकन किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

जहां तक तनकी सं. 03 में संशोधन का प्रश्न है तो उक्त संबंध में वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र की मद सं. 06 में यह उल्लेखित है कि, ''उन्हें सम्पत्तियों का भावी मालिक बना दिया गया है'', मद सं. 07 में उल्लेखित है कि, '' वादीगण समस्त व्यवसाय और सम्बन्धित सम्पत्तियों पर तत्काल प्रभाव से मालिक बन जावे। वादीगण की माता भी ऐसी लिखावट के पक्ष्ज्ञ में थी और माता रूकमणी देवी ने प्रतिवादी कम 1 को वादीगण को मालिक बना देने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि प्रतिवादी कम 1 ने रजिस्टर्ड वसीयत करने के बाद यह महसूस किया, कि वादीगण सम्पत्तियो व कारोबार का मालिक कानूनी रूप से जीवनकाल के बाद बन सकेंगे।'' मद सं. 09 में उल्लेखित है कि, ''वादीगण, प्रतिवादी कम 1 की समस्त सम्पत्ति पर वैध रूप से बतौर मालिक काबिज हो गये थे।'' मद सं. 10 में उल्लेखित है कि, ''अपनी समस्त चल अचल सम्पत्तियों, कारोबार व खनन का वैध रूप से मालिक व काबिज वादीगण को बनाया।'' इसी प्रकार के कथन शेष वादपत्र में किये गए है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अतः उक्त वादपत्र के अभिवचनों के मद्देनजर तनकी सं. 03 में भी संशोधन स्वीकार किया जाता है।

जहां तक तनकी सं. 05 व 6 में संशोधन का प्रश्न है तो दो तहरीरों दिनांक 04.06.1993 व 28.04.2003 जिनका की वादपत्र में उल्लेख है के आधार पर भी तनकी का विनिश्चय करवाना चाहा है। किसी भी तनकी का विनिश्चय संपूर्ण वादपत्र के आधार पर होता है। अतः जहां वादपत्र का उल्लेख है तो

Scanned with OKEN Scanner

उस स्थान पर पृथक से उक्त दो तहरीरों का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। तनकी सं. 6 में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त तनकी का विनिश्चय करवाना चाहा है। अतः उक्त तनकी सं. 05 संपूर्ण वादपत्र के तथ्यों के मद्देनजर विनिश्चित की जावेगी जो कि एक स्वाभाविक स्थिति है। अतः उपरोक्त आधारों पर तनकी सं. 05 व 06 में चाहा गया संशोधन अस्वीकार किया जाता है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचनानुसार वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। दीवानी लिपिक उक्त संदर्भ में संशोधन का इंद्राज लाल स्याही से पूर्व में विरचित तनकीयों में करे।

तदनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली वास्ते [illegible] 5 हेतु दिनांक 25/5/26 को पेश हो

अपर जिला न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज.)